"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2014—पौष 27, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2013

क्रमांक ई-01-01/2013/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18-10-2013 द्वारा विधान सभा निर्वाचन के दृष्टिगत तत्कालिक व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 29-04-2013, दिनांक 01-05-2013 एवं दिनांक 21-05-2013 को अस्थायी रूप से आस्थगित करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 464/CHH-LA/2013, दिनांक 18-10-2013 अनुसार श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (सीजी:1992) को अस्थाई रूप से आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर पदस्थ किया गया था एवं श्री के. डी. पी. राव, भा.प्र.से. (1988) को श्री साहू की पदस्थी अवधि में अनिवार्य-प्रतिक्षारत (On Compulsory-wait) रखा गया था.

2. विधान सभा निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण होने के कारण विभाग के उपरोक्त वर्णित समसंख्यक आदेशों को पुन: प्रभावशील किया जाता है. श्री के. डी. पी. राव, भा.प्र.से. (सीजी : 1988) को तत्काल प्रभाव से विशेष-कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेशित किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

3. श्री सुब्रत साहू, भाप्रसे (सीजीः1992) को आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, समाज कल्याण विभाग का भी प्रभार सौंपा जाता है.

4. श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1992) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त-सह-संचालक, लोक शिक्षण, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, समाज कल्याण विभाग श्री सुब्रत साहू के कार्यभार ग्रहण उपरांत केवल सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 8-14/2012/10-2.—यतः, विगत समय में, मानव-मगरमच्छ द्वंद की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से, जांजगीर-चांपा जिले की जांजगीर तहसील के ग्राम पंचायत कोटमीसोनार के समीप स्थित तालाबों के सभी मगरमच्छों को कोटमीसोनार सिंचाई तालाब में हस्तांतरित किया गया था तथा ग्राम पंचायत एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की मांग पर वन विभाग द्वारा कोटमीसोनार मगरमच्छ संरक्षण योजना प्रारंभ की गयी थी;

यतः, कोटमीसोनार मगरमच्छ संरक्षण योजना के लिए, राज्य शासन द्वारा कोटमीसोनार तालाब के क्षेत्र सहित शासन द्वारा हस्तांतरित 57.037 हेक्टेयर शासकीय राजस्व भूमि का क्षेत्र वन विभाग को सौंपी गई है और "शीर्ष (6722)-मगरमच्छ संरक्षण योजना" के अधीन बजट उपलब्ध कराया गया है;

और यतः, ग्राम सभा कोटमी ने अपनी बैठक दिनांक 14-04-2012 में वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्र. 53 सन् 1972) के उपबंधों के अधीन कोटमीसोनार मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व घोषित करने के लिये, प्रस्ताव पारित किया हैं तथा छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने भी अपनी पांचवीं बैठक दिनांक 30-05-2012 में कोटमीसोनार मगरमच्छ संरक्षण पार्क को मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व घोषित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया है तथा राज्य शासन, मगरमच्छों एवं उनके आवास के संरक्षण के लिए इस क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व स्थापित करना चाहता है;

अंतएव, वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्र. 53 सन् 1972) की धारा 36 (A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मगरमच्छ एवं उनके आवास के संरक्षण हेतु नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमियों को कोटमीसोनार मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला	—	जांजगीर-चांपा
मंडल	—	जांजगीर-चांपा
तहसील	—	जांजगीर
परिक्षेत्र	—	बलौदा
क्षेत्र (हेक्टेयर में)	—	57.037
संरक्षण रिजर्व का नाम	—	कोटमीसोनार मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व

क्र.	रिजर्व का नाम	रिजर्व में सम्मिलित ग्रामों के नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल एकड़ में	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कोटमीसोनार (मगरमच्छ) संरक्षण रिजर्व	कोटमीसोनार (पटवारी हल्का नम्बर-4)	2124, 2125	29.57	11.966	उत्तर - कृत्रिम सीमा रेखा, मुनारा क्र. 1 की सीमा से मुनारा क्र. 15 तक की सीमा.
			2668/1	19.38	7.849	
			2671/1	62.97	25.502	
			2668/7	6.49	2.628	पूर्व- कृत्रिम सीमा रेखा, मुनारा क्र. 15 की सीमा से मुनारा क्र. 26 तक की सीमा.
			2668/6	5.08	2.057	
			2668/5	8.62	3.491	
			2668/4	1.75	0.709	दक्षिण- कृत्रिम सीमा रेखा, मुनारा क्र. 26 की सीमा से मुनारा क्र. 32 तक की सीमा.
			2668/3	2.00	0.810	
			2668/2	5.00	2.025	
						पश्चिम- कृत्रिम सीमा रेखा, मुनारा क्र. 32 की सीमा से मुनारा क्र. 37 की सीमा से होकर मुनारा क्र. 1 की सीमा तक विस्तारित.
		योग	10	140.86	57.037	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 8-14/2012/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-14/2012/10-2 दिनांक 27 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, विशेष सचिव.

Raipur, the 27th December 2013

No. F 8-14/2012/10-2.—Whereas, in the recent past, all the Crocodiles of ponds near Kotmisonar Gram Panchayat of Janjgir Tahsil of Janjgir-Champa District were transferred to the Kotmisonar irrigation tank for the purposes to mitigate the human-crocodile confilict and Kotmisonar Crocodile Conservation Scheme was lunched by the Forest Department on the demand of Gram Panchayat and other people's representatives;

Whereas, the area of 57.037 hectares of Government revenue land transferred by the Government including the area of Kotmisonar tank was handed over to the Forest Department and the budget has been provided under the 'head (6722)-Crocodile Conservation Scheme' by the State Government;

And, whereas, Gram Sabha Kotmi has passed a resolution in its meeting dated 14-04-2012 to declare Kotmisonar Crocodile Conservation Reserve under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) and Chhattisgarh State Wildlife Board has also passed resolution in its fifth meeting dated 30-05-2012 to declare the Kotmisonar Crocodile Conservation Park as Crocodile Conservation Reserve and the State Government intends to constitute this area as Conservation Reserve for the conservation of crocodiles and its habitat;

Therefore, in exercise of the powers conferred by the Section 36(A) of Wildlife (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the State Government hereby, notifies the lands mentioned in Schedule below, as Kotmisonar Crocodile Conservation Reserve, for Conservation of Crocodile and its habitat, namely :—

SCHEDULE

District	—	Janjgir-Champa
Division	—	Janjgir-Champa
Tahsil	—	Janjgir
Range	—	Baloda
Area (In Hec.)	—	57.037 Hec.
Name of Conservation Reserve	—	Kotmisonar Crocodile Conservation Reserve

S. No.	Name of the Reserve	Name of the villages included in the reserve and Patwari Halka Number	Khasra Number	Area in acres	Area in hectares	Boundaries	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Kotmisonar (Crocodile) Conservation Reserve	Kotmisonar (Patwari Halka Number-4)	2124, 2125	29.57	11.966	**North-**	Artificial boundary line from boundary pillar No. 1 upto boundary pillar No. 15.
			2668/1	19.38	7.849		
			2671/1	62.97	25.502		
			2668/7	6.49	2.628		
			2668/6	5.08	2.057	**East-**	Artificial boundary line from boundary pillar No. 15 upto boundary pillar No. 26.
			2668/5	8.62	3.491		
			2668/4	1.75	0.709		
			2668/3	2.00	0.810		
			2668/2	5.00	2.025	**South-**	Artificial boundary line from boundary pillar No. 26 upto boundary pillar No. 32.
						West-	Artificial boundary line from boundary pillar No. 32 extended upto boundary pillar No. 1 through boundary pillar No. 37.
		Total	**10**	**140.86**	**57.037**		

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Special Secretary.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जनवरी, 2014

क्रमांक एफ 01–50/2008/23.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

   (ग) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची–चार में यथाविनिर्दिष्ट चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति ;

   (घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

   (ङ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्ग;

   (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

   (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा;

   (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

   (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों;

   (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

   (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5\. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6\. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के ऐसे सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जिन्होने अनुसूची–चार के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि शासन द्वारा इंस निमित विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग के परामर्श के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) भी लागू होंगे।

7\. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8\. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**— चयन/परीक्षा हेतु पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(एक) **आयु**— (क) वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित हों, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(पांच) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(ट) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (एक) (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमायें शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं.**— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में विनिर्दिष्ट है।

(तीन) **शुल्क.**— (क) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।
(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकते हों से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिष्चय अंतिम होगा.–** (1) चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति आयोग द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.–** (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय–समय पर, अवधारित करे।

(2) आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना एवं निर्देशों के अनुसार ली जाएगी, जैसा कि शासन द्वारा आयोग के परामर्श से समय–समय पर जारी किये जायें।

(3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक के लिये पद, शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमिलेयर) के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, उन अभ्यर्थियों, जो महिला/निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमिलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप–नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमिलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमिलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त सख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमिलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **आयोग द्वारा चयनित किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, उनके (ऐसे अभ्यर्थियों के) मेरिट क्रम में सूची, तैयार करेगा, जिसकी वैधता, नियुक्ति हेतु शासन को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। इस सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को अग्रेषित करेगा।

(5) इस नियम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो के वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने, त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए, चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि हो जाने पर, प्रतिक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि हुआ समझा जायेगा।

(11) उप–नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन, वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश नही करता ।

13. **परिवीक्षा.–** (1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 (दो) वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 1 (एक) वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः 1 (एक) वर्ष से अधिक न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.–** (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना,

उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा 1 (एक) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहां विचारण के लिए क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 (एक) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित एवं पुनर्विलोकित की जायेगी।

(4) चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यदि सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अवक्रमण हेतु अपने कारण अभिलिखित करेगी।

17. **आयोग से परामर्श.–** (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे व्यक्तियों के अभिलेख, जो सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण हेतु प्रस्तावित हैं।

(तीन) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण हेतु समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की सिफारिशों पर शासन की टिप्पणी।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप-नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप-खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. **चयन सूची.**– (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि, इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, तो सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिर्वतन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तन से शासन को सूचित करेगा तथा यदि शासन, विचार करने के पश्चात्, कोई मत प्रकट करे, तो ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः एक वर्ष की कालावधि के लिए तब तक विधिमान्य रहेगी जब तक कि नियम 16 के उप-नियम (4) के अनुसार पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित नहीं कर दी जाती किन्तु इसकी वैधता अवधि, इसके तैयार किये जाने की तारीख से कुल 18 माह की अवधि के बाद नही बढ़ाई जायेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण एवं कर्तव्य के अनुपालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा-संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

20. **परिवीक्षा.**– सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 (दो) वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. शिथिलीकरण.– इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

अनुसूची एक
(नियम 5 देखिए)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संचालक	01	प्रथम श्रेणी (राजपत्रित)	रु. 37400–67000 + ग्रेड वेतन– 8900/–
2	अपर संचालक	01	प्रथम श्रेणी (राजपत्रित)	रु. 37400–67000 + ग्रेड वेतन– 8700/–
3	संयुक्त संचालक	03	प्रथम श्रेणी (राजपत्रित)	रु. 15600–39100 + ग्रेड वेतन– 7600/–
4	उप–संचालक/ जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	30	प्रथम श्रेणी (राजपत्रित)	रु. 15600–39100 + ग्रेड वेतन– 6600/–
5	सहायक संचालक, योजना/ सहायक संचालक, सांख्यिकी	67	द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)	रु. 15600–39100 + ग्रेड वेतन– 5400/–

अनुसूची दो
(नियम 6 देखिए)

(भर्ती का तरीका)

स.क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1)(क) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम (1)(ख) देखिये)	अन्य सेवा के व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(1)(ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	संचालक	01	—	—	प्रतिनियुक्ति द्वारा – अखिल भारतीय सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा	
2	अपर संचालक	01	--	100%	प्रतिनियुक्ति द्वारा– अखिल भारतीय सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा	पदोन्नति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की अनुपलब्धता की दशा में पदों को आईएएस अथवा आईएसएस के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे ।
3	संयुक्त संचालक	03	--	100%	—	
4	उप संचालक/जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	30	--	100%	—	
5	सहायक संचालक, योजना/सहायक संचालक, सांख्यिकी	67	50%	50%	—	

अनुसूची तीन
(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए अधिकारियों की आयु एवं अर्हताएं

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	सहायक संचालक	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय अर्थात् अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/वाणिज्य/गणित/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि **अथवा** कम्प्युटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग उपाधि	

अनुसूची चार
(नियम 14 देखिए)

छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा (राजपत्रित)

स.क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति/नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए अनुभव की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संयुक्त संचालक	अपर संचालक	3 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी **—अध्यक्ष** (2) सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी **—सदस्य** (3) सामान्य प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि **—सदस्य** (4) संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी **—सदस्य**	
2	उप संचालक/ जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	संयुक्त संचालक	5 वर्ष	— तदैव —	
3	सहायक संचालक, योजना/सहायक संचालक, सांख्यकी	उप संचालक/ जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष	— तदैव —	4 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात्, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति के लिए अनुशंसा की जायेगी
4.	सहायक सांख्यकी अधिकारी	सहायक संचालक, योजना /सहायक संचालक, सांख्यकी	5 वर्ष	— तदैव —	4 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात्, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति के लिए अनुशंसा की जायेगी

Naya Raipur, the 1st January, 2014

No. F 1-50/2008/23. —In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the members of the Chhattisgarh State Economics and Statistical Services (Gazetted) namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh State Economics and Statistical (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Appointing Authority"** in respect of the service or a post means the Government of Chhattisgarh;

(b) **"Commission"** means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(c) **"Committee"** means the Selection Committee/Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-IV;

(d) **"Examination"** means the competitive examination held for recruitment conducted under rule 11 of these rules;

(e) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(f) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh;

(g) **"Other Backward Classes"** means the Other Backward Classes of citizens, as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5- XXV-4-84, dated 26th December 1984 as amended from time to time;

(h) **"Schedule"** means a Schedule appended to these rules;

(i) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(j) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(k) **"Service"** means the Chhattisgarh State Economics and Statistical (Gazetted) Service;

(I) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of service.-** The service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding the posts specified in Schedule-I in a substantive or in an officiating capacity;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay, etc.-** (1) The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.-** (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment, through competitive examination or by selection on basis of merit and interview;

(b) by promotion of members of the service who had completed the minimum years of service as specified in column (2) of Schedule-IV and passed the departmental examination;

(c) by transfer/ deputation of the persons who hold in substantive or officiating capacity such posts in such service as may be specified in this behalf by the Government.

(2) The number of persons recruited under clause (a),(b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by

such method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may after consultation with the Commission adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rules, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in service.-** All appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for selection/examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I) **Age.-** (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and have not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the posts is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (five) years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-Layer);

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 years as per the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or who have been employees of Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant, should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct, from his age the period of all temporary services previously rendered by him/her upto a maximum limit of 7 (seven) years even if represents more than one spell. Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation - The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3(three) years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service.

(e) A candidate, who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all defense services previously rendered by him. Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years;

Explanation- The term "Ex-Servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on -

(a) Completion of short term engagement;

(b) On fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Ex-servicemen/Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including Short Service Regular Commissioned Officers);

(v) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 (two) years in respect of Green Card holders candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxed upto 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple as per Chhattisgarh Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under Untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 (five) years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates, who are the employees of Chhattisgarh State Corporations / Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard Service rendered so by them subject to the limit of 8 (eight) years but in no case their age should exceed 38 years.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

Note- (1) The candidates, who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8 (I) (d) (i) and (ii) above, shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination / selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) In no other case these age limit shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(II) **Educational qualification-** The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for the service as specified in Schedule-III.

(III) **Fees- (A)** The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority/Commission.

(B) The candidate, who has been required to appear before Medical Board must pay the fees

as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. **Disqualification.-** (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be disqualified for examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule for such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born shall not be disqualified for any service or post.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.-** (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission for examination/ interview, shall be allowed to be appear in the examination or interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11. **Direct recruitment by Selection/ Competitive Examination/ Interview.**-(1) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) Competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with the Commission, from time to time.

(3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.

(4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(5) There shall be 30 percent posts reserved for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(6) In addition to above, the post for person with disability/ex-servicemen shall be reserved in accordance with the Act/Rule/ Order/Instructions issued by the Government from time to time.

(7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) In addition to above the candidates who may be women/person with disability/ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7) as the case may be.

(10) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. **List of candidates selected by the Commission.-** (1) The Commission shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, person with disability/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25 percent of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25 percent vacant posts in each category, to make it an integer, decimal number shall be extended to the next integral number.

(4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment.

(5) Subject to the provisions of this rule and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, does not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of a candidate from the waiting list can be recommended by the Commission

for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from the waiting list, then the Commission, as per the above provisions, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of select list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. **Probation.-** (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 (two) years.

(2) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1(one) year.

(3) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

14. **Appointment by promotion.-** (1) There shall be constituted a committee consisting of members as mentioned in Schedule-IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding 1 (one) year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke

Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

15. **Conditions regarding eligibility for promotion.-** (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or in any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Method of computation for eligibility for promotion- The calculation of the period of qualifying service on the 1st day of January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 (one) year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 (one) year.

(3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.

16. **Preparation of list of suitable candidates.-** (1) The Committee shall prepare a list of such persons to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of 1 year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

17. **Consultation with the Commission.-** (1) The list prepared in accordance with Rule 16 shall be sent to the Commission along with following documents:-

(i) the record of all the persons included in the list.

(ii) record of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list.

(iii) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.

(2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/ Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

18. **Select list.-** (1) Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the committee, if it feels that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any change in the list received from the Government, the Commission shall inform the Government of the changes proposed and if Government expresses any opinion after considering it, along with such modifications, if any, its opinion that is just and proper, will approve the list finally.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of Civil Services as mentioned in column (2) of Schedule-IV the posts mentioned in column (3) of Schedule-IV.

(4) The select list shall ordinarily be valid for a period of one year until is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Committee may, if it thinks fit, may remove the name of such persons from the select list.

19. **Appointment to the service from the select list.-** (1) Appointment of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. **Probation.-** Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 (two) years.

21. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

23. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALOK AWASTHI, Joint Secretary.

SCHEDULE - I
(See Rule 5)

S. No.	Name of the post included in the service	Total number of posts	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Director	01	Class - I (Gazetted)	Rs. 37400 – 67000 + Grade pay 8900/-
2.	Additional Director	01	Class - I (Gazetted)	Rs. 37400 - 67000 + Grade pay 8700/-
3.	Joint Director	03	Class - I (Gazetted)	Rs. 15600 – 39100 + Grade pay 7600/-
4.	Deputy Director/ District Planning And Statistical Officer	30	Class - I (Gazetted)	Rs. 15600 – 39100 + Grade pay 6600/-
5.	Assistant Director Planning/ Assistant Director Statistics	67	Class-II (Gazetted)	Rs. 15600 – 39100+ Grade pay 5400/-

SCHEDULE - II
(See rule 6)

(Method of Recruitment)

S. No.	Name of the post	Total number of duty posts	Percentage of number of the posts to be filled			Remarks
			By direct recruitment (See rule 6(1)(a))	By promotion of Member of the service (See rule 6(1)(b))	By transfer/ deputation of persons from other services (See rule 6(1)(c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Director	01	--	---	By deputation - Indian Administrative Service/ Indian Statistical Service	
2.	Additional Director	01	--	100%	By deputation - Indian Administrative Service/ Indian Statistical Service	In case of non-availability of suitable officer for promotion of the post shall be filled by officers on deputation from IAS or ISS.
3.	Joint Director	03	--	100%	--	
4.	Deputy Director/ District Planning And Statistical Officer	30	--	100 %	--	
5.	Assistant Director Planning/ Assistant Director Statistics	67	50%	50 %	--	

SCHEDULE - III
(See rule 8)

Age and qualification of the officer to be direct recruited

S. No.	Name of the Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Assistant Director	21 years	30 years	Master Degree in one of the subjects viz., Economics/Statistics / Commerce/Mathematics/ Computer Application with at least 55% marks from any recognized University. **Or** Engineering Degree in Computer Science/ Information Technology.	

SCHEDULE - IV
(See rule 14)

S.No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum period of experience for eligibility of promotion/ appointment	Name of members of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Joint Director	Additional Director	3 years	(1) Chairman, Public Service Commission or Officers nominated by him - Chairman (2) Secretary, Planning Economics and Statistics – Member (3)Representative of General Administration Department - Member (4)Director of Economics and Statistics or Officer nominated by him. – Member	
2.	Deputy Director/ District Planning and Statistical Officer	Joint Director	5 years	----do------	

3.	Assistant Director Planning/ Assistant Director Statistics	Deputy Director / District Planning and Statistical Officer	5 years	(1) Chairman, Public Service Commission or Officers nominated by him - Chairman (2) Secretary, Planning Economics and Statistics - Member (3) Representative of General Administration Department - Member (4) Director of Economics and Statistics or Officer nominated by him. - Member	After 4 years of service the recommendation for promotion will be given after passing the departmental examination
4.	Assistant Statistical Officer	Assistant Director Planning/ Assistant Director Statistics	5 years	----do------	After 4 years of service the recommendation for promotion will be given after passing the departmental examination

---

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक 11505/3063/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्त श्री परमेश्वर साहू, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कवर्धा के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 01-01-2012 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए शासकीय अभिभाषक कवर्धा नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

रा.प्र.क्र./1/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	जामकानी	5.665	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, रायगढ़.	सकालो जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

रा.प्र.क्र./2/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	जामकानी	0.658	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, रायगढ़.	सकालो जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

रा.प्र.क्र./3/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	जामकानी	4.918	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, रायगढ़.	सकालो जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

रा.प्र.क्र./4/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	हर्रामार	2.557	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, रायगढ़.	सकालो जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

रा.प्र.क्र./5/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	जामढोढ़ी	8.303	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, रायगढ़.	सकालो जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	भैसगढ़ी प.ह.नं. 09	9.113	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बरबहेली प.ह.नं. 09	4.962	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्रमांक/अ.भू.अ./प्र.क्र. 8/अ-82/वर्ष 2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	गातापार प.ह.नं. 31	0.35	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, बेमेतरा.	गतापार व्यपवर्तन योजना के बंडपार एवं डुबान में प्रभावित ग्राम गातापार हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्रमांक/अ.भू.अ./प्र.क्र. 9/अ-82/वर्ष 2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	कुरलु प.ह.नं. 25	0.15	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, बेमेतरा.	गतापार व्यपवर्तन योजना के बंडपार एवं डुबान में प्रभावित ग्राम गातापार हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

रा.प्र.क्र./1/अ-82/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-जामकानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.665 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
105/3	0.016
180	0.062
121/1	0.001
222	0.058
228/2	0.048
235/1	0.012
992	0.028
32/2	0.064
71/4	0.046
137	0.134
139	0.024
253	0.080
159	0.008
257/1	0.004
248/3	0.024
513	0.008
528	0.112
366/1	0.032

(1)	(2)
555	0.048
311/1	0.208
550/4	0.028
366/2	0.028
935/2	0.038
918	0.036
922/3	0.108
730/4	0.004
167	0.046
181/1	0.074
223/1	0.062
226	0.020
228/3	0.046
235/2	0.058
994	0.058
62/2	0.120
70/2	0.092
158	0.038
146	0.080
156/1	0.032
251/3	0.032
197	0.024
140	0.030
514	0.242
529	0.084
557/4	0.048
556	0.008
315	0.104
550/5	0.020
366/2	0.024
669	0.038
919	0.029
738/2	0.054
655/3	0.042
167/1	0.074
181/2	0.028
225	0.001
227/1	0.001
228/4	0.028
235/3	0.058
30/1	0.092
71/1	0.028
123	0.056
141/1	0.054
145/1	0.052
252	0.030
251/2	0.048
250	0.001
398	0.028
519	0.052
530/1	0.108
549	0.068
557/1	0.026
316	0.016
550/7	0.081
739	0.080
656	0.086
920/1	0.028
738/3	0.140
920/3	0.001
178	0.086
220	0.204
223/2	0.008
228/1	0.020
234/1	0.012
993	0.104
30/2	0.092
70/1	0.020
122	0.144
138	0.016
150	0.054
156/2	0.048
256	0.146
248/1	0.024
397	0.048
526	0.012
372	0.030
550/1	0.020
557/2	0.026
282	0.078
550/2	0.020
738/1	0.064
655/1	0.028
920/4	0.030
655/2	0.138
1038	0.164
योग	5.665

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकालो जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

रा.प्र.क्र./2/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-जामकानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.658 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
876	0.061
913/1	0.040
908	0.180
914/2	0.102
913/2	0.076
877/2	0.079
914/1	0.072
901	0.008
913/3	0.040
योग	0.658

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकालो जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

रा.प्र.क्र./3/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-जामकानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.918 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1	0.093
1/2	0.001
3/3	0.002
10	0.218
30/2	0.065
42/2	0.091
394	0.105
1065	0.073
396/2	0.080
434/1	0.032
461/2	0.036
706/2	0.004
456/2	0.008
880/1	0.028
900	0.084
750/2	0.002
708	0.001
778/1	0.036
825/1	0.144
2/1	0.027
2/2	0.016
5	0.085
24	0.073
41	0.016
387/1	0.090
395/5	0.121
393	0.110
397	0.073
459/1	0.030
825/2	0.008
455/2	0.076
455/3	0.008
457/3	0.060
447	0.020
705/1	0.024
739	0.172

(1)	(2)
881	0.080
826	0.062
3/1	0.009
3/2	0.060
7/1	0.139
25	0.311
42/1	0.030
387/2	0.068
395/4	0.002
395/3	0.108
398	0.065
459/2	0.128
457	0.062
454/1	0.132
462/1	0.012
451	0.080
824	0.176
707	0.134
876	0.108
897	0.064
4/1	0.050
4/2	0.002
8	0.133
26	0.040
43/1	0.036
392	0.081
379/3	0.030
396/1	0.013
402/1	0.210
458	0.032
457/4	0.012
455/1	0.080
450/3	0.002
452	0.080
705/2	0.046
1067	0.024
880/2	0.028
899/1	0.077
योग	4.918

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकालो जलाशय योजना के मुख्य नैहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

रा.प्र.क्र./4/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-हर्रामार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.557 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49/1	0.124
258/2	0.040
261/2	0.101
278/2	0.064
736	0.060
716	0.028
714	0.072
656	0.072
690	0.012
680/2	0.004
332	0.024
50/2	0.060
258/3	0.062
261/1	0.008
766/1	0.012
737/1	0.090
744	0.004
331	0.074
657/1	0.012
678/2	0.150
685	0.072
334	0.088
52/1	0.048
259	0.048
264	0.048
734	0.220
743	0.036

(1)	(2)
691	0.028
648/1	0.064
657/2	0.076
679	0.088
689	0.072
52/2	0.062
262	0.076
274/1	0.032
686	0.052
742	0.102
713	0.064
648/2	0.060
658	0.048
680/1	0.020
330	0.080
योग	2.557

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--सकालो जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

रा.प्र.क्र./5/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जेला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-जामढोढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.303 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
537/1	0.084
562/1	0.060
565	0.028
782	0.008
574/5	0.012
582	0.004
770/2	0.101
787/2	0.058
783/1	0.024
781	0.028
238	0.008
11	0.074
150	0.184
152	0.062
302	0.004
171/1	0.024
236	0.040
168	0.040
1225	0.240
1160	0.068
1159/2	0.042
232/3	0.008
358	0.008
1168	0.004
298/1	0.076
421	0.016
305	0.008
537/2	0.048
769/1	0.084
565/2	0.084
574/1	0.036
580	0.036
740	0.088
572/1	0.040
787/1	0.028
769/2	0.096
26/1	0.064
167/1	0.040
230/1	0.048
147	0.008
153	0.034
169	0.094
167/2	0.109
1228/2	0.038
229/1	0.016
1226	0.016
1162	0.020

(1)	(2)
1159	0.012
308/4	0.028
360	0.040
198/1	0.060
202/2	0.036
422	0.132
306	0.048
539	0.120
562/2	0.120
566/3	0.002
574/2	0.060
583	0.088
739	0.024
572/2	0.064
788	0.058
768/1	0.064
25/1	0.012
1228/1	0.040
10	0.146
169/2	0.024
300	0.028
1224/2	0.004
201/1	0.096
237	0.880
201/3	0.061
1163/6	0.040
1161	0.010
1135	0.032
308/5	0.024
363	0.008
198/2	0.062
298/1	0.008
446	0.004
307	0.004
540/1	0.072
563/1	0.120
566/2	0.032
574/3	0.030
738	0.088
770/1	0.072
784	0.072
789	0.074
768/3	0.096
171/3	0.092
1850	0.012
148	0.088
201/4	0.038
301	0.178
170	0.166
238/2	0.073
166	0.880
1229	0.162
1227/1	0.081
104	0.060
1134	0.004
225/2	0.040
473	0.084
202/1	0.101
378	0.088
447	0.148
222/2	0.144
297/2	0.072
218/1	0.040
224	0.008
308/3	0.070
31	0.182
297/1	0.104
425/1	0.032
355	0.008
377/2	0.060
29/1	0.198
379	0.32
472	0.028
344	0.886
377/3	0.170
27/1	0.138
417	0.008
851	0.080
29/2	0.405
354/2	0.088
27/2	0.232
योग	8.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकालो जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

राजनांदगांव, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्रमांक 456/प्रवा.कले.राज./2013-14.—यत: अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति, राजनांदगांव के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

और यत: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शित वन ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वनग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बजरंगीडीह	178.999	उत्तर-बागरेकसा दक्षिण-आलेदण्ड पूर्व-मोहनपुर पश्चिम-कनेरी	23	भगवानटोला	डोंगरगढ़	राजनांदगांव

Rajnandgaon, the 9th January 2014

No. 456/RC/RJN/2013-14.—Whereas, the forest villages shown in schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committe, Rajnandgaon under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013, dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of Settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby declare the forest village shown in Column (2) of Schedule below shall be Revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bajrangidih	178.999	North-Bagrekasa South-Aaledand East-Mohanpur West-Kaneri	23	Bhagwantola	Dongargarh	Rajnandgaon

राजनांदगांव, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्रमांक 457/प्रवा.कले./2013-14.— अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति, राजनांदगांव के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

और यत: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शित वन ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वनग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कारूटोला	194.375	उत्तर-भगतपुर दक्षिण-बंजारी पूर्व-खरखरा जलाशय पश्चिम-मासूलकसा	42	मासूलकसा	छुरिया	राजनांदगांव

Rajnandgaon, the 9th January 2014

No. 457/RC/RJN/2013-14.—Whereas, the forest villages shown in schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committe, Rajnandgaon under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013, dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of Settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby declare the forest village shown in Column (2) of Schedule below shall be Revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Karutola	194.375	North-Bhagatpur South-Banjari East-Kharkhara Dam West-Masulkasa	42	Masulkasa	Chhuria	Rajnandgaon

राजनांदगांव, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्रमांक 458/प्रवा.कले.राज./2013-14.—यत: अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति, राजनांदगांव के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

और यत: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शित वन ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वनग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	घाघरा	75.241	उत्तर-मुरूम दक्षिण-कटेमा पूर्व-गातापार पश्चिम-सीतापाल	01	गातापार जंगल	खैरागढ़	राजनांदगांव

Rajnandgaon, the 9th January 2014

No. 458/RC/RJN/2013-14.—Whereas, the forest villages shown in schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committe, Rajnandgaon under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013, dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of Settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby declare the forest village shown in Column (2) of Schedule below shall be Revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Ghaghra	75.241	North-Murum South-Katema East-Gatapar West-Sitapal	01	Gatapar Jangal	Khairagarh	Rajnandgaon

राजनांदगांव, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्रमांक 459/प्रवा.कले.राज./2013-14.—यत: अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति, राजनांदगांव के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

और यत: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शित वन ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वनग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मलईदाह	99.870	उत्तर-भावे दक्षिण-लिमउटोला पूर्व-करेलागढ़ पश्चिम-जुरलाखार	01	गातापार जंगल	खैरागढ़	राजनांदगांव

Rajnandgaon, the 9th January 2014

No. 459/RC/RJN/2013-14.—Whereas, the forest villages shown in schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committe, Rajnandgaon under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013, dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of Settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby declare the forest village shown in Column (2) of Schedule below shall be Revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Malaidah	99.877	North-Bhawe South-Limautola East-Karelagarh West-Jurlakhar	01	Gatapar Jangal	Khairagarh	Rajnandgaon

अशोक कुमार अग्रवाल
कलेक्टर.